अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

न्यायालय, आयुक्त कोशी प्रमंडल सहरसा

भू० वि० अपील वाद संख्याः 111/2012

मो० छेदी —— अपीलार्थी

वनाम

मो० मीर हसीन उद्दीन —— रेस्पोण्डेन्ट्स

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांकः 07.11.11 ई० अंदर भूमि विवाद निराकरण वाद संख्याः 124/2011 में पारित आदेश के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट द्वारा अनुमंडल दंडाधिकारी, मधेपुरा के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया जिसके आधार पर प्रस्तुत वाद निम्न न्यायालय में दायर हुआ जिसमें रेस्पोण्डेन्ट के पक्ष में आदेश पारित हुआ है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि मौजाः मजरहट, थाना+अंचलः सिंहेश्वर, थाना नं०:201, तौजी नं०: 485, जिलाः मधेपुरा अंतर्गत खाता संख्याः 21, खेसरा संख्याः 1125 रकवाः 0.1.1 एवं खेसरा संख्याः 1127 रकवाः 0.3.2 कुल रकवाः 0.4.3 (चार कट्ठा तीन धूर) भूमि को विवादी प्रश्नगत भूमि बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट/ वादी के द्वारा रेस्पोण्डेन्ट/वादी द्वारा एक आवेदन पत्र अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के जनता दरबार दिया गया वो उक्त दिये गये आवेदन के आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा के न्यायालय में वाद संख्या 124/2011 प्रारंभ किया गया वो उभय पक्षों को नोटिश निर्गत किया गया परन्तु अपीलार्थी/ विपक्षी द्वारा नोटिश नहीं लिया गया कथन करते हुए रेस्पोण्डेन्ट/वादी के दावा को सही मानते हुए निम्नन्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है वो विधिसम्मत नहीं है बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि रेस्पोण्डेन्ट के पिता शेख सरीयत से केवाला नं0 9215 दिनांक 16.10.68 कुल कीमत अदा कर मीर हसीनउद्दीन पिता मीर अमीरउद्दीन के नाम से खरीद किया था जिसका बिहार सरकार के सिरिस्ते में दाखिल खारिज कराकर जमाबन्दी नं0 363 कायम है एवं वर्ष 2009–2010 तक लगान रसीद प्राप्त है बतलाते है वो हाल सर्वे में खाता इन्दराज मीर हसीरउद्दीन पिता मीर अमीरउद्दीन के नाम से दर्ज हुआ जिसका हाल खाता 1249 हाल खेसरा 1377/5973 रकबा 0.9 डी0 तथा 1357/5974 रकबा 14 डी0 दर्ज है तथा नया खेसरा 1343 रकबा 0.5

डी0 जो प्रार्थी के विक्रेता नाम से खाता बना है। जो विपक्षी गण मो0 छेछी पिता स्व0 जमाल बक्स, मो0 सदरूल पिता – स्व0 जमाल बक्स, कबीर उर्फ मुखिया पिता मो0 छेदी, सलीम जाफर उर्फ गवारी पिता मो0 छेदी, मो0 अफरोज, पिता स्व0 इसराफिल एवं मो0 अकरामूल पिता मो0 सत्तार सभी साकिनान झिटकिया थाना सिंसहेश्वर जिला मधेपुरा जोत आबाद करने में विवाद किया गया। रेस्पोण्डेन्ट/वादी द्वारा उक्त आशय का आवेदन पत्र अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के जनता दरबार दिया गया वो उक्त दिये गये आवेदन के आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा के न्यायालय में वाद संख्या 124/2011 प्रारंभ किया गया वो उभय पक्षों को नोटिश निर्गत किया गया परन्तु अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा नोटिश नहीं लिया गया । वर्णित स्थिति में रेस्पोण्डेन्ट/वादी के दावा को सही मानते हुए निम्नन्यायालय द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया बतलाते हैं।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया एवं पाया कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश एक पक्षीय है जो संधारणीय नहीं है ।अपीलार्थी द्वारा नोटिश लेने से इन्कार किया जाना भी तर्कसंगत नहीं है। अतएवं अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

10/11/2014

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

10/11/2014

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा